न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारीउदयपुर

पीठासीनअधिकारी :–अनीतामीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2021(उदयपुरआर्डर)

तुलसीरामपिताकनीयाजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलालपितागोकलजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर
2. वगतरामपितागोकलजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर
3. जमनालालपिताभुरालालजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तह0मावली, जिलाउदयपुर
4. लालुरामपिताभुरालालजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर
5. वजेरामपिताभुरालालजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर
6. श्रीमतीमांगीबाईपुत्री भुरीलालजी, जातिलोहार, नि.नान्दवेल, तह.मावली, जिलाउदयपुर
7. रामचन्द्रपिताकनीयाजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर
8. देवीलालपिताकनीयाजी, जातिलोहार, निवासीनान्दवेल, तहसीलमावली, जिलाउदयपुर

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलअन्तर्गत धारा225राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम–1955विरूद्ध निर्णय
सहायककलक्टरमावलीप्रकरण संख्या 21/2020दिनांक28.10.2020

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्रीभूरालालडांगीअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्रीपुष्पेन्द्रपालीवालअभि. रे.सं. 1 से 6

–––::–––

निर्णयदिनांक31–08–2022

प्रकरण के संक्षेपमेंतथ्यइसप्रकारहैकिअधिनस्थन्यायालय मेंहालअपीलान्ट ने एक प्रार्थनापत्रअन्तर्गत धारा 251(क)राजस्थानकाश्तकारीअधिनियमकाप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिमौजानान्दवेलमेंप्रार्थी एवंविपक्षी संख्या 7 व 8 के खातेदारीहक एवंआधिपत्य की कृषिआराजीनंबर 894 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वास्थितहै।उक्तआराजीमेंबैलगाड़ी व ट्रैक्टरआदिलानेलेजाने के लिए रास्तासरकारीआराजीनंबर 919 मेंसेहोताहुआआराजी के पश्चिमदिशा की आराजीनंबर 898 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के उत्तरीपालीपर 15 फिटउत्तरदक्षिणचौड़ाई एवंपूर्वपश्चिमलम्बाईमेंसबसेसुगम एवंसरलमार्गप्रार्थी की आराजीनंबर 894 मेंपहुंचसकताहै।इसकेअलावाअन्य कोईरास्तानहींहै।आराजीनंबर 900 आ.चा. की भूमिहोकरप्रार्थी एवंविपक्षी के नामसामलाती खातेदर्जहोकरइसआराजीचाहसेपिलाईकाअधिकारहै, जोसरकारीआराजी न ंबर 919 सेभूमिगतपाईपलाईन के जरियेउपरवर्णितरास्तामेंसेहोतीहुईजासकतीहैऔरइससेप्रार्थी की आराजी की पिलाईहोसकतीहै।अतः प्रार्थीकाप्रार्थनापत्र स्वीकारकियाजाकरप्रार्थनापत्र के साथसंलग्न ए,बी,सी,डी, मेंदर्शितरास्ताराजस्वनक्शामेंकायमकरायाजावे एवंउक्तरास्तेमेंपाईपलाईनडालने की स्वीकृतिप्रदान की जावे।

अधिनस्थन्यायालय ने अपनेनिर्णय दिनांक28–10–2020सेप्रार्थीकाप्रार्थनापत्रखारिजकरदिया,जिससेरूष्ट होकरअपीलान्ट/प्रार्थी द्वारादिनांक03–08–2021कोइसन्यायालय मेंयह अपीलप्रस्तुत की गयीहै।

अपीलदर्जरजिस्टर की जाकररेस्पोन्डेन्टगणकोतलबकियेजानेपररेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओरसेवकीलश्रीपुष्पेन्द्रपालीवालउपस्थि[illegible]स्पोन्डेन्ट संख्या 7 स्वयंउपस्थितहुए, जबकिरेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 [illegible]स्थितरहे।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीतलब की जाकरउभयपक्ष की बहस[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथदफा 5 जाब्तामियादकाआवेदनप्रस्तुतकरनिवेदनकियाकिअपीलान्टकोरोनामहामारी के कारणन्यायालय मेंउपस्थितनहींहोसका एवंउसकेबादबीमारहोनेसेउसेअधिनस्थन्यायालय के निर्णय की जानकारीसर्वप्रथमदिनांक 20–10–2020 कोहुई।देरीकापर्याप्तकारणहै।अतः देरीको क्षमाकियाजाकरअपीलअन्दरमियाद शुमार की जावे।ताईदमें शपथपत्र प्रस्तुतकिया।

हमनेउक्तआवेदनपरमननकिया एवंपत्रावलीकाअवलोकनकिया।व्यक्तकारणों एवंप्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगतन्यायहितमेंमयादकण्डोन की जाकरअपीलश्रवणार्थग्रहण की जातीहै।

विद्वानवकीलअपीलान्ट ने अपीलमीमोंमेंवर्णिततथ्योंकोपुनः वक्तबहसदोहराया एवंबतायाकिअधिनस्थन्यायालय मेंदिनांक 11.09.2020 कोतामिलहोने के बादसुनवाईहेतुप्रकरणनियतथा, किन्तुइसकेबादनिरन्तरकोरोना के कारणसुनवाईनहींहोसकीतथाकोरोना के चलतेदिनांक 28–10–2020 की पेशी उनके अधिवक्तानोटनहींकरसके, जिससेवहन्यायालय मेंउपस्थितनहींहोसके।अधिनस्थन्यायालय ने प्रकरणअदमहाजरीअदमपैरवीमें खारिजकरने के बजाय मेरिटपरनिर्णय पारितकरदिया, जोन्याय के नैसर्गिकसिद्धान्तों के विपरीतहोनेसेअपास्त योग्य है।अधिनस्थन्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीतनिर्णय पारितकियाहै।अतः अपीलअपीलान्टस्वीकारकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णयनिरस्तकियाजावेतथाअपीलान्ट द्वाराअधिनस्थन्यायालय मेंचाहागयाअनुतोषउसेदिलायाजावे।

विद्वानअभिभाषकरेस्पोन्डेन्ट ने उक्तबहसका खण्डनकरतेहुए बतायाकिअपीलान्टजानबूझकरअधिनस्थन्यायालमेंउपस्थितनहींहुए हैतथाअधिनस्थन्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधारपरनिर्णय पारितकियाहै, जोविधि सम्मतहै।अतः अपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जावे।

हमनेउभयपक्षों की बहसपरमननकरपत्रावलीकाअवलोकनकिया।अधिनस्थकी पत्रावलीपरसंलग्नतहसीलदार की रिपोर्ट एवंनक्शाट्रेसअनुसारअपीलान्टकोअपनीआराजीनंबर 894 परपहुंचनेहेतुपूर्वसेउसकीसटमाआराजीनंबर 891 सेरास्ताउपलब्ध है।अधिनस्थन्यायालय ने भीअपनेविवेचनमेंस्पष्टअंकितकियाहैकि''प्रार्थीकोअपनीआराजीनंबर 894 परपहुंचने के लिए मौकेपरआराजीनंबर 891 सेमार्गउपलब्ध है।प्रार्थीविपक्षी की आराजीनंबर 898 से 15 फिटरास्ताआराजीनंबर 919 तकपहुंचने के लिए कायमकरवानाचाहताहैजबकिआराजीनंबर 919 व 891 दोनोंहीबिलानामकिस्मनालीहैं। ऐसीस्थितिमेंआराजीनंबर 891 प्रार्थी की आराजीनंबर 894 सेसटमाहैजिसपरप्रार्थीआसानीसेआवागमनकरसकताहैअपनेसंसाधनलालेजासकताहै।'' अधिनस्थन्यायालय के उपरोक्तविवेचनमेंहमकिसीप्रकारकाहस्ताक्षेपकरनाउचितनहीं समझतेहैं।

अतःअपीलअपीलान्टसारहीनहोनेसे खारिज की जाकरअधिनस्थन्यायालय कानिर्णयदिनांक28–10–2020यथावत रखाजाताहै।पत्रावलीबादपूर्णप्रविश्टिनंबरसे कम होकरदाखिलदफ्तरहो।अधिनस्थन्यायालय की पत्रावलीलौटाईजावे।निर्णय आजदिनांक31–08–2022को खुलेन्यायालय मेंसुनायागया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवंपदेनराजस्वअपीलअधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:21 IST
Reason: SelfAttested